क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म या तामील
	29/5/26 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी वकील से बहस सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली पी साल सुधार के नम्बर से खारिज हो पत्रावली जिल्द होकर अभिलेखागार में शामिल हो उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

प्रार्थना पत्र संख्या
26/2025

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

दायर दिनांक
05.03.2025

आदेश दिनांक
29.05.2026

बउनवान

1. प्रहलाद पुत्र श्री बोबड जाति गुर्जर निवासी चुडला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 235/0.16 है0, 260/0.15 है0, 261/0.15 है0, 262/0.07 है0, 263/0.11 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.64 है0, व ख0 नं0 133/1.86 है0, व ख0 नं0 100/0.39 है0, 47/0.19 है0, 48/0.25 है0, 54/0.04 है0, 95/0.39 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.62 है0, व ख० नं0 234/0.19 है०, वाके ग्राम चूडला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी में हो रहा प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती बाबत विवाद है इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खानदानी आराजी है जिस पर कदीमी काबिज होकर प्रार्थी अपने हिस्से पर व अन्य सहखातेदारान अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है मौके पर आज भी प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा के कब्जा बाबत मौके पर कोई विवाद नहीं है प्रार्थी अपने अपने हिस्से व स्थान पर काबिज है।
4. यह है कि आराजी मुतनाजा में सहवन से प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र बोबडिया उर्फ बुधा दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम बोबड है और प्रार्थी के पिता के बोबड के नाम से सभी दस्तावेज बने हुये है। तथा प्रार्थी के दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम बोबड दर्ज है। तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात प्रहलाद पुत्र श्री बोबड के नाम से बने हुये है। लेकिन राजस्व रिकोर्ड में मिन प्रार्थी के पिता का नाम प्रहलाद पुत्र बोबडिया उर्फ बुधा दर्ज कर दिया जिसे मिन प्रार्थी दुरूस्त कराकर अपने पिता का नाम प्रहलाद पुत्र श्री बोबड दर्ज कराना चाहता है।
5. यह है कि प्रार्थी के पिता का नाम बोबडिया उर्फ बुधा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी अपने अधिकारों से महरूम रह रहा है। प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

पिता का नाम बोबडिया उर्फ बुधा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी केडिट कार्ड से ऋण उठाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से व आराजी पर विधुत कनैक्शन लेने, विकय करने, विनिमय करने के अधिकारो से वंचित रह रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि आराजी मुतनाजा में प्रार्थी के पिता का नाम बोबडिया उर्फ बुधा दर्ज होने की जानकारी दिनांक 01/03/20245 को हुयी जब प्रार्थी रिकोर्ड की नकले निकलवायी उसके बाद प्रार्थी अप्रार्थी से नाम शुद्वी के लिये निवेदन करते रहा और तहसील कार्यालय में चक्कर लगाता रहा लेकिन प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त नहीं किया तो अंत में न्यायालय श्रीमान में प्रार्थना पत्र मिली कानूनी सलाह से पेश किया जा रहा है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व अप्रार्थी को दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन प्रार्थना पत्र अरजेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस का समय नहीं रहा इसलिये बिना नोटिस ही प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। ईजाजत प्रार्थना पत्र दफा 80 (2) जाप्ता दिवानी संलग्न प्रार्थना पत्र है।
8. यह है कि आराजी मुतनाजा में प्रार्थी के पिता का नाम बोबडिया उर्फ बुधा दर्ज होने की जानकारी दिनांक 01/03/2025 को हुयी जब प्रार्थी रिकोर्ड की नकले निकलवायी उसके बाद प्रार्थी अप्रार्थी से अपने पिता का नाम शुद्वी के लिये निवेदन करता रहा और तहसील कार्यालय में चक्कर लगाता रहा लेकिन प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त नहीं किया बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त आराजी ख० नं० हाल 235/0.16 है0, 260/0.15 है0, 261/0.15 है0, 262/0.07 है0, 263/0.11 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.64 है0, व ख0 नं0 133/1.86 है0, व ख० नं0 100/0.39 है0, 47/0.19 है0, 48/0.25 हैक0, 54/0.04 है0, 95/0.39 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.62 है0, व ख0 नं0 234/0.19 हैक, वाके ग्राम चूडला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम प्रहलाद पुत्र श्री बोबडिया उर्फ बुधा के स्थान पर प्रहलाद पुत्र श्री बोबड दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई विधिवत रूप से तामिल होने उपरान्त अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि :–
ग्राम चुडला के आराजी खसरा नम्बर 235/0.16, 260/0.15, 261/0.15, 262/0.07, 263/0.11 किता 5 रकबा 0.64 है0 में प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र बोबडिया हि0 1/2 गुर्जर सा0 देह खातेदार व खसरा संख्या 133/1.86 के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र बुधा हिस्सा 1/5 गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज है। ग्राम चुडला के आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

100/0.39, 47/0.19, 48/0.25, 54/0.04, 95/0.39 किता 5 रकबा 1.62 है0 में प्रार्थी का नाम प्रहलाद दत्तक पुत्र बोबडिया दर्ज है। व आराजी खसरा नम्बर 234/0.19 है0 में प्रार्थी का नाम प्रहलाद दत्तक पुत्र बोबडिया दर्ज है। ग्राम चुडला के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम उपरोक्तानुसार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम बोबड है। राजस्व रिकोर्ड में भी अन्य दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड की तरह प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र बोबडिया उर्फ बुधा के स्थानप र प्रहलाद पुत्र बोबड दर्ज किया जाना उचित है। वर्तमान में कोई स्थगन आदेश नही है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन जमाबन्दी सम्वत 2073–76, आधार कार्ड पेश किया।

संक्षिप्त बहस प्रार्थी वकील :–
यह कि विवादित आराजी ग्राम चूडला स्थित खातेदारी भूमि है, जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रार्थी का केवल यह निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम त्रुटिवश "बोबडिया उर्फ बुधा" अंकित हो रहा है, जबकि वास्तविक नाम "बोबड" है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम "बोबड" अंकित है। प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का स्वामित्व, कब्जा अथवा हिस्सेदारी का विवाद नहीं है, बल्कि केवल नाम संबंधी त्रुटि के संशोधन का प्रश्न है।

विशेष रूप से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अप्रार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम "बोबड" अंकित है तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम "प्रहलाद पुत्र बोबडिया उर्फ बुधा" के स्थान पर "प्रहलाद पुत्र बोबड" दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थी के कथनों का स्पष्ट खण्डन नहीं किया गया है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी के जवाब में किये गये स्वीकारोक्ति कथनों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राजस्व अभिलेखों में नाम संबंधी त्रुटि विद्यमान है, जिसका संशोधन न्यायहित एवं अभिलेखीय शुद्धता की दृष्टि से आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित खातों के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के पिता का नाम "बोबडिया उर्फ बुधा" के स्थान पर "बोबड" दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।यह बहस धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नाम दुरुस्ती प्रकरण के लिए उपयुक्त एवं संक्षिप्त रूप में तैयार की गई है।

विवेचन
प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी का जवाब, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का मुख्य कथन यह है कि विवादित आराजियों के राजस्व अभिलेखों में उसके पिता का नाम "बोवडिया उर्फ बुधा" अंकित है, जबकि उसके पिता का वास्तविक नाम "बोवड" है तथा उसके समस्त व्यक्तिगत दस्तावेजों में पिता का नाम "बोबड" अंकित है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आधार कार्ड एवं जमाबन्दी की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं।

अप्रार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम "बोबड" अंकित है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "प्रहलाद पुत्र बोवडिया उर्फ बुधा" के स्थान पर "प्रहलाद पुत्र बोबड" दर्ज किया जाना उचित है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विरोध अथवा प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही स्वामित्व, कब्जे अथवा हिस्सेदारी संबंधी कोई विवाद परिलक्षित होता है।

अतः उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी के जवाब में व्यक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रतीत होता है कि राजस्व अभिलेखों में नाम संबंधी त्रुटि अंकित है, जिसके कारण प्रार्थी को राजस्व अभिलेखों के उपयोग एवं अन्य शासकीय लाभ प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों का शुद्ध एवं वास्तविक स्थिति के अनुरूप होना आवश्यक है। फलस्वरूप, प्रकरण में प्रार्थी का दावा प्रमाणित एवं स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी प्रहलाद पुत्र श्री बोबड द्वारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी का जवाब, उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया।

विवेचन में वर्णित कारणों से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ग्राम चूडला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा स्थित खसरा संख्या 235, 260, 261, 262, 263, 133, 100, 47, 48, 54, 95 एवं 234 के राजस्व अभिलेखों में अंकित प्रार्थी के पिता के नाम "बोबडिया उर्फ बुधा" के स्थान पर "बोबड" अंकित/दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, मुण्डावर आवश्यक कार्यवाही कर नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में संशोधन सुनिश्चित करें। अहकाम जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल–तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner